

**भारत सरकार**  
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**  
**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3296  
उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

**वित्तीय सहायता कार्यक्रम**

**3296. थिरु दयानिधि मारन:**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2019 से तमिलनाडु में एमएसएमई के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं और वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में एमएसएमई को कितनी धनराशि संवितरित की गई;
- (ग) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में एमएसएमई क्लस्टरों और औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्थापित नए एमएसएमई औद्योगिक एस्टेटों या बिजनेस इन्क्यूबेटरों की संख्या कितनी है;
- (ङ) क्या मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) तमिलनाडु में एमएसएमई के बीच प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और
- (छ) तमिलनाडु में वर्ष 2019 से मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एमएसएमई उद्यमियों की संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : केंद्रीय सरकार देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। सरकार तमिलनाडु सहित देश में एमएसएमई के लिए केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों और मांग आधारित विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यानिष्पादन में तेजी और गतिवर्धन, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

दिनांक 15.03.2025 तक, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 6,13,37,576 है, जिनमें 26,09,22,301 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम भी शामिल हैं। इनमें से, तमिलनाडु में पंजीकृत एमएसएमई 49,64,549 हैं, जिसमें 2,59,22,629 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

कुछ प्रमुख स्कीमों का कार्य निष्पादन/उपलब्धियां निम्नानुसार है:-

- (i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पारम्परिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा महिलाओं सहित विशेष श्रेणी से संबंध रखने वाले लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान सहायता प्रदान इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी तथा अनुमानित सृजित रोजगार के संबंध में तमिलनाडु में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमानित रोजगार सृजन
2019-20	5,173	124.05	41,384
2020-21	5,188	138.82	41,504
2021-22	5,972	164.45	47,776
2022-23	6,140	178.92	49,120
2023-24	6,814	198.72	54,512

(ii) तमिलनाडु में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की प्रगति: वर्ष 2000 में सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को कोलेटरल प्रतिभूति और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का गठन किया था।

सीजीटीएमएसई-अनुमोदित समग्र गारंटी-तमिलनाडु		
अवधि	संख्या	राशि करोड़ रु. में
वित्त वर्ष 2019-20	89,725	4,353
वित्त वर्ष 2020-21	61,535	3,344
वित्त वर्ष 2021-22	44,897	4,134
वित्त वर्ष 2022-23	61,883	7,114
वित्त वर्ष 2023-24	1,13,815	15,061
वित्त वर्ष 2024-25 फरवरी 28, 2025 तक	1,44,805	17,863
शुरुआत से फरवरी 28, 2025 तक संचयी योग	8,66,672	67,499

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन करता है तथा निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(ग) से (ड) : एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। एमएसई-सीडीपी के तहत दो घटक अर्थात् सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना (सीएफसी) तथा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन सम्मिलित हैं। एमएसई-सीडीपी के तहत तमिलनाडु राज्य में दो नई औद्योगिक संपदाओं (i) मरीकुंडू, थेनी में नई औद्योगिक संपदा और (ii) पिडानेरी, तुथुकूडी में नई औद्योगिक संपदा की स्थापना की गई है। एमएसई-सीडीपी के औद्योगिक संपदाओं में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन घटक का कार्यान्वयन राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम (इंक्यूबेशन घटक) के तहत, इंक्यूबेशन गतिविधियों में लगे हुए ऐसे तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य व्यावसायिक कॉलेजों/संस्थानों, अनुसंधान और विकास संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों, एमएसएमई-डीएफओ/प्रौद्योगिकी केंद्र अथवा केंद्र/राज्य सरकारों के कोई संस्थान/संगठन मेजबान संस्थान (एचआई) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा वे एचआई/बीआई के माध्यम से आईडिया के अवधारणा के प्रारंभिक चरण से वाणिज्यिकरण चरण तक पोषण करने के लिए बिजनेस इंक्यूबेटर (बीआई) के रूप में कार्य कर सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में इस स्कीम के तहत 175 एचआई को अनुमोदित किया गया है।

(च) और (छ) : केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चैन्नई, तमिलनाडु ने वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था ताकि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक कार्यबल को कुशल जनशक्ति तथा उनके कौशल का पुनः निर्धारण कर एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वर्ष 2019 से तमिलनाडु में सीएफटीआई, चैन्नई द्वारा आयोजित विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित एमएसएमई की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी 2025 तक)
विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित एमएसएमई की संख्या	56	68	178	286	521	446

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के तहत, तमिलनाडु राज्य सहित कौशल और उद्यमिता संवर्धन से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु में आयोजित कार्यक्रमों और लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2019-20	383	16284
2.	2020-21	34	1647
3.	2021-22	31	3002
4.	2022-23	245	9433
5.	2023-24	319	16445
6.	2024-25 (दिनांक 12.03.2025 तक)	272	13180
	कुल	1284	59991

\*\*\*\*\*